Registration no: (21912522024427093022) Date: (29-10-2024) Valid till: (29-10-2027)

पत्रांक 2786/SS

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

दिनांक 05-11-2024

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

SANT JALESHWAR ACADEMY

BADA LAUWAN, LAUWAN LALA, BANIYAPUR SARAN

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 27-04-2024 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 29-10-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय SANT JALESHWAR ACADEMY , BADA LAUWAN, LAUWAN LALA, BANIYAPUR SARAN, BADA LAUWAN, 841403 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 29-10-2024 से 29-10-2027 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 209.165 डिसमिल

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 209.165 डिसमिल

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- Classrooms, Science Laboratory Computer Laboratory Library Music Room Dance Room Art Room Activity Rooms Counselling Centre Atrium Cafeteria Outdoor Play Areas Sports Facilities Medical Room School Transport

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 18

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 6

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 7 , Girls 7

(VII) पेयजल की सुविधा :- 4

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 3

(IX) बाधारहित पहुँच,( ) :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- BLACK BOARD, CHALK , CHART PAPER, GLOBE, GRAPH PAPER, SMART CLASS, VISUAL ADDS, COMPUTER, DRAMA, ACTS, NEWS PAPER, MODELS , FOOTBALL, HAND BALL, BAT, CRICKET BALL , LUDO, BADMINTON, VOLLEY BALL, HOCKEY , CARROM BOARD , CHESS, ...ETC , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [21912522024427093022, 2024] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

05/11/24
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, सारण

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, SARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।
(बिहार शिक्षा परियोजना, समग्र शिक्षा, सारण)

पत्रांक ...544.......SS / सारण, दिनांक...13.|.03./2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक **SSA/Aff./2012-13/0029/241/SSA**, दिनांक 06.02.2013 द्वारा **संत जलेश्वर अकादमी** को औपबंधिक प्रस्वीकृति तीन वर्षो के लिए दी गई थी जिसकी **प्रस्वीकृति संख्या** 0029 है। औपबंधिक प्रस्वीकृति की समाप्ति उपरान्त् अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक/ प्राचार्य/सोसाईटी/ट्रस्ट, संत जलेश्वर अकादमी के द्वारा अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति के नवीकरण हेतु कार्यालय को आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, छपरा से विद्यालय की जांच कराई गई।

उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में **संत जलेश्वर अकादमी**, बड़ा लौवा, बनियापुर, सारण को उनके औपबंधिक प्रस्वीकृति के समाप्ति की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रस्वीकृति का नवीकरण किया जाता है। साथ ही, यदि सरकार को विभागीय कार्य हेतु आपके विद्यालय परिसर की आवश्यकता हुई तो ऐसी परिस्थिति में आप विभाग को अपना विद्यालय परिसर उपलब्ध करायेंगे। विद्यालय के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संगत प्रावधानों/शर्त्तों का उल्लंघन करने पर किसी भी समय प्रस्वीकृति समाप्त की जा सकेगी।

13/3/21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।

ज्ञापांक...544/SS.....छपरा, दिनांक..../13/03/2021

प्रतिलिपि – अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक/प्राचार्य/सोसाईटी/ट्रस्ट, संत जलेश्वर अकादमी, बड़ा लौवा, बनियापुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सारण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, सारण/ जिला पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/3/21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।

Manager
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

Srivastava
Principal
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति से संबंधित

प्रपत्र– II

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक :– SSA/Aff./2012-2013/0029/ 241 दिनांक 06/02/2013

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
संत जलेश्वर अकादमी
बड़ा लौंवा, बनियापुर, सारण

विषय:– ***बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।***

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 29-9-2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय संत जलेश्वर अकादमी बड़ा लौंवा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षो 16 फरवरी 2013 से 15 फरवरी 2016 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।

Manager
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

Principal
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसके उम्र प्रमाणपत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगें :–

i- किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निश्कासित किया जाएगा।

ii- किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

iii- किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

v- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi- शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यतर वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते है, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

vii- शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii- शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :–

विद्यालय– परिसर का क्षेत्रफल	: बारह कट्ठा
कुल निर्मित क्षेत्र	: 6770 फीट (वर्ग कक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष)/स्टोर/रसोई घर)
खेल के मैदान का क्षेत्र	: नहीं
वर्ग कक्षों की कुल संख्या	: 13
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष	: हॉं
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग भौचालय	: हॉं
पेयजल की सुविधा	: हॉं

Manager
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

Principal
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर : हाँ

बाधारहित पहुँच : हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कुद उपकरण / पुस्तकालय : हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **0029** है। इस कार्याल से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धित किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय–समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

Manager
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

Principal
Sant Jaleshwar Academy
Bada Lauwan, Lauwan Kala
Baniyapur, Saran, Pin- 841403

स्वघोषणा -प्रपत्र (21912522024427093022)

क.	विद्यालय विवरण	
1.	विद्यालय का नाम	SANT JALESHWAR ACADEMY
2.	शैक्षणिक सत्र	2023-2024
3.	जिला :	SARAN
4.	पत्राचार का पता	BADA LAUWAN, LAUWAN LALA, BANIYAPUR SARAN
5.	गाँव / नगर	BADA LAUWAN
6.	प्रखण्ड	Baniapur
7.	पिन कोड	841403
8.	दूरभाष संख्या एस 0 टी 0 डी 0 कोड के साथ	
9.	फैक्स नं0	
10.	ईमेल पता (यदि कोई हो)	sjaschool88@gmail.com
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	BANIYAPUR

(ख)	सामान्य सूचनाएँ	
1	स्थापना का वर्ष	2011
2	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि	14 Mar 2011
3	ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति का नाम	SANT JALESHWAR FOUNDATION
4	क्या ट्रस्ट /सोसाएटी / प्रबंधन समिति निबंधित है ?	Yes
5	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के निबंधित की वैधता अवधि	14 Mar 2099
6	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूचि	Yes

	पता के साथ शपथ-पत्र के रूप में संलगन है ?	
7	विद्यालय के चेयरमैन /प्रेसीडेंट . मैनेजर के कार्यालय का पता :-	
	नाम	ER. SACHCHIDANAND RAI
	पद नाम	CHAIRMAN
	पत्ता	VILLAGE - BADA LAUWAN, POST - LAUWAN KALA, POLICE STATION - BANIYAPUR, DISTRICT - SARAN, STATE - BIHAR 841403
	दूरभाष	9903250841
8	अंतिम तीन वर्षो के कुल आय एवं व्यय(बचत/ घाटा)	

वर्ष	आय	व्यय	अभियुक्ति
6	3538895.00	3611913.00	
7	4486418.00	5667106.00	
8	6802829.00	8664568.00	

(ग)	विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-	
1	शिक्षण का माध्यम	English
2	विद्यालय का प्रकार(प्रवेश एवं निकास की कक्षाए अंकित करे)	Nursery
3	यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्रदत करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	Yes
5	यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा, निबंधित संख्या	CBSE, 331084
6	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है ?	Y

7	क्या विद्यालय के भवन/ अन्य आधारभूत संरचनाएं / मैदान केवल शिक्षा और कशल के लिए वय्व्हुत की जाती है ?	Yes
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	209.165
9	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ है ?	Classrooms, Science Laboratory Computer Laboratory Library Music Room Dance Room Art Room Activity Rooms Counselling Centre Atrium Cafeteria Outdoor Play Areas Sports Facilities Medical Room School Transport

(घ.) नामांकन स्थिति :-

वर्ग	सेक्ससन की संख्या	विधार्थियों की संख्या
पूर्व प्राथमिक	5	144
1-5	8	284
6-8	5	223

(च.) अधार भूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति :-

कक्ष	संख्या	औसत आकार
वर्गकक्ष	18	25 x 20
कार्यालय कक्ष-सह-भंडार, कक्ष-सह प्रधानाध्यापक कक्ष	6	12 X 15 , 25 X 20
रसोईघर-सह-भंडार	3	20 X 40 , 20 x 25

(छ) अन्य सुविधाएँ :-

1.	क्या सभी सुविधाएँ अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत है	Yes
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूचि संलग्न करें)	BLACK BOARD, CHALK , CHART PAPER, GLOBE, GRAPH PAPER, SMART CLASS, VISUAL ADDS, COMPUTER, DRAMA, ACTS, NEWS PAPER, MODELS
3.	खेलकूद सामग्री (सूचि संलग्न करें)	FOOTBALL, HAND BALL, BAT, CRICKET BALL , LUDO, BADMINTON, VOLLEY BALL, HOCKEY , CARROM BOARD , CHESS, ...ETC

4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा (हाँ /नहीं)	Yes
1.	पुस्तकों की संख्या	999
2.	पत्रिकाएँ /समाचार पत्र की संख्या	10
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	4
6.	सवच्छता की स्थिति	
क.	डब्लू सी और मूत्रालय का प्रकार	Both Indian and Western
ख.	बालको के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	7
ग .	बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	7

(ज) शिक्षकों का ब्योरा :-

शिक्षक का नाम	पिता /पति /पत्नी का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	शैक्षणिक अनुभव	किस वर्ग के शिक्षक	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	क्या आप प्रधान शिक्षक हैं
ANUPAMA MISHRA	LATE VIJAY KANT MISHRA	03 Dec 1971	POST GRADUATION	B.Ed	17	6-8	16 Jul 2022	Trained	Yes
VINIT KUMAR SINGH	KEDAR NATH SINGH	05 Jul 1993	POST GRADUATION	MCA	14	6-8	18 Oct 2023	Trained	Yes
NANHI KUMARI	KRISHNA SINGH	12 Aug 1998	Graduation	NO	1	1-5	01 Feb 2023	Not Trained	No

ANKIT PARASHAR	SANJAY SINGH	10 Oct 1999	Graduation	BCA	1	1-5	25 Jan 2023	Trained	No
PRITI KUMARI	JANARDAN OJHA	15 Apr 1991	POST GRADUATION	B.Ed	5	1-5	03 Apr 2019	Trained	No
ABHAY KUMAR SINGH	ANUP KUMAR SINGH	31 Oct 1981	Graduation	D.El.Ed	10	6-8	25 Mar 2014	Trained	No
AMRITA KUMARI	GANESH ROY	03 Mar 1989	POST GRADUATION	NO	3	1-5	17 Jun 2023	Not Trained	No
OM PRAKASH RAY	DHARMDEV RAY	26 Mar 1994	Graduation	B.Ed	5	6-8	09 Sep 2021	Trained	No
KHUSHI KUMARI	BASHIST NARAYAN SINGH	30 Apr 2001	Graduation	NO	1	1-5	24 Apr 2023	Not Trained	No
SHAILENDRA KUMAR SINGH	BALISTAR SINGH	03 Apr 1992	POST GRADUATION	B.Ed	5	6-8	19 Dec 2019	Trained	No
RESHMA KHATOON	ASLAM ANSARI	03 Feb 1994	Graduation	NO	5	1-5	26 Jul 2019	Not Trained	No
SATYENDRA THAKUR	BIDESHI THAKUR	03 Feb 1994	POST GRADUATION	M.Lis	1	6-8	15 Jul 2023	Not Trained	No
VISHAL KUMAR TIWARI	BHUNESHWAR TIWARI	22 Oct 1997	Graduation	NO	3	6-8	14 May 2024	Not Trained	No
JITENDRA PAL	KALP NATH PAL	20 Jan 1995	POST GRADUATION	BTC	3	6-8	02 Nov 2023	Trained	No
CHUNEE KUMARI	AMRESH KUMAR TIWARI	02 Feb 1994	Graduation	NO	1	1-5	03 Jan 2023	Not Trained	No

RENU RANJAN	SANTOSH KUMAR SINGH	25 Feb 1990	Graduation	NO	1	1-5	01 Apr 2024	Not Trained	No
TARA SINGH BISHT	LATE BISHAN SINGH BISHT	01 Jul 1973	POST GRADUATION	B.Ed	12	6-8	21 Nov 2023	Trained	No
VIVEK GIRI	SASHI KANT GIRI	17 Sep 1993	Graduation	NO	2	1-5	01 Apr 2023	Not Trained	No
RAHUL KUMAR RAY	BINOD RAY	01 Apr 1998	Graduation	D.El.Ed	1	6-8	01 Apr 2024	Trained	No
PRIYANKA KUMARI	SUNIL KUMAR SINGH	26 Feb 1991	POST GRADUATION	NO	2	1-5	26 Aug 2022	Not Trained	No
ABHISHEK KUMAR SINGH	MAJISTER SINGH	20 Jul 1995	Graduation	NO	5	6-8	01 May 2019	Not Trained	No
MAMTA KUMARI	RAJEEV KUMAR RAI	15 Dec 1986	POST GRADUATION	D.El.Ed	12	1-5	12 Mar 2012	Trained	No
AMIT KUMAR	MURLIDHAR RAY	27 Oct 1992	Graduation	D.El.Ed	5	1-5	15 Dec 2023	Trained	No
Pandey Bhagirathi Ratandeo	RAKESH PANDEY	03 Apr 1992	Graduation	B.Ed	2	6-8	24 Jun 2024	Trained	No
OMPRAKASH RAY	KAMLA PRASAD RAY	28 Dec 1985	Graduation	D.El.Ed	3	1-5	17 May 2024	Trained	No

(झ.)	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :-	
1	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है। (वर्ग 8 तक)	???? ???????? ?????????? , ??? ???????? ?????????? , ??????? ?????????? , ??????? ?????????? , ?????? ???????? ??????????, ????? ???????? ?????????? , ??????? ???????? ?????????? , ????????? ?????????? ,

2	छात्रों के आकलन की पद्धति	WRITTEN EXAMINATION, ORAL TEST, GROUP DISCUSSION, PRESENTATION,
3	क्या विधालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है |	No

ट.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डाएस) में भी समर्पित किया गया है।
ठ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।
ड.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग, द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन और सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देष दिया जाएगा उनका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निधार्रित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियो को दुर करने हेत निरंतर प्रयास करेगा।
ढ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवष्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा जिससे केन्द्र स्थानीय निकाय या प्रषासन को संसद/राज्य के विधान सभा/ पंचायत /नगर निगम (जो लागु हो) के प्रति जबाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।